

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण न पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे तिरासे श्रेणी हो।



ग्राम : सूनीवासेटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1371

दिनांक : 26-02-14


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार MAA SHANTI DEVI COLLEGE KUTGHAN SABALGARH (MORENA) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित B.A. (F.C., Hindi, Geography, Political Sc., Economics, Sociology, History, (Comp. Sc., Home Sc.), B.COM., B.SC. (F.C., Botany, Zoology, Chemistry, Physics, Maths) (Comp. Micro.), P.G.D.C.A., B.C.A., B.B.A., B.H.S.C. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

शर्तें एवं प्रतिबंध :-


1. तीन माह के भीतर 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करें। अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार न किया जावे।
2. 50,000/- रुपये की पुस्तकें क्रय करें।
3. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना की जावे।
4. परिनियम 27, 28 का पालन किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, MAA SHANTI DEVI COLLEGE KUTGHAN SABALGARH (MORENA).
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)